"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309] रायपुर, शनिवार, दिनांक 4 सितम्बर 2004—भाद्र 13, शक 1926

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्रमांक 5384/21-अ/प्रा./04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्र. 4 सन् 2004) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 4 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004
(क्रमांक 4 सन् 2004)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य के विधान मण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (एक) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 (क्रमांक 4 सन् 2004) है.

(दो) यह अध्यादेश शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम (क्रमांक 5 सन् 1995) का अस्थायी संशोधन.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) निम्नलिखित धाराओं में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 9-क का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 9-क में,—

(एक) शब्दों "जैसा कि राज्य शासन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें" विलोपित किया जाये.

(दो) शब्द "पांच" के स्थान पर शब्द "चार" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 26 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 26 में,—

उपधारा (4) के खण्ड (क) में अंक "1.25" के स्थान पर अंक "1" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 27 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(एक) उपधारा (2) के खण्ड (क) के अंत में वाक्य "उस वर्ष के लिये ऐसे व्यापारी द्वारा प्रस्तुत विवरणी या विवरणियों को स्वीकार किया जायेगा तथा उपधारा (1) के प्रयोजन के लिये उसका कर निर्धारण किया हुआ मान लिया जायेगा" अंत:स्थापित किया जाये.

(दो) उपधारा (2) के खण्ड (ख) का लोप किया जाये.

(तीन) उपधारा (2) के खण्ड (ग) में शब्दों "खण्ड (ख)" के स्थान पर शब्दों "खण्ड (क)" प्रतिस्थापित किये जायें तथा शब्दों "खण्ड (क) के अधीन" विलोपित किये जायें.

6. मूल अधिनियम की धारा 32 में,— धारा 32 का संशोधन.

उपधारा (8) में अंक "18" के स्थान पर शब्द "बारह" प्रतिस्थापित किया जाये.

7. मूल अधिनियम की धारा 39 में,-- धारा 39 का संशोधन.

उपधारा (5) में शब्द "एक" के स्थान पर शब्द "आधा" प्रतिस्थापित किया जाये.

8. मूल अधिनियम की धारा 61 में,— धारा 61 का संशोधन.

वर्तमान उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाये—

(6) ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे,

(क) अपीलीय उपायुक्त प्रत्येक अपील का निपटारा ऐसी अपील फाइल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर करेगा. ऐसी अपील का निपटारा करते समय, अपीलीय उपायुक्त कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा किन्तु, मामले का प्रतिप्रेषण नहीं करेगा.

इस खण्ड में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 प्रारंभ होने पर, लंबित अपीलों का निपटारा अपीलीय उपायुक्त द्वारा उक्त अध्यादेश प्रारंभ होने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर किया जायेगा.

(ख) अधिकरण—

(एक) कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे निरस्त कर सकेगा, या

(दो) कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण या दोनों को अपास्त कर सकेगा और उस अधिकारी को जिसके कर निर्धारण या शास्ति के अधिरोपण आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, यह निर्देश दे सकेगा कि वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि निर्देशित की जाए, नवीन रूप से कर निर्धारण करे या शास्ति पुन: अधिरोपित करे.

(तीन) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे.

9. मूल अधिनियम की धारा 62 में,— धारा 62 का संशोधन.

(एक) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्दों "जैसा कि वह उचित समझे" के पश्चात् शब्दों एवम् वाक्यांश "पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन फाइल करने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर" अंत: स्थापित किया जाए,

(दो) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाए,

(1-क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि उपधारा एक के अधीन पुनरीक्षण किसी ऐसे पुन: कर निर्धारण या शास्ति के पुन: अधिरोपण के किसी ऐसे आदेश के संबंध में है, जो अपील या पुनरीक्षण में दिए गए किसी निर्देश के अनुसरण में है, तो आयुक्त उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार आदेश पारित कर सकेगा, किन्तु मामले का प्रतिप्रेषण नहीं करेगा.

(1-ख) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन पुनरीक्षण के लिए फाइल किया गया कोई आवेदन छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 के प्रारंभ होने के दिनांक को लंबित है तो उसका निपटारा उक्त अध्यादेश के प्रारंभ होने के दिनांक से एक कैलेण्डर वर्ष के भीतर, यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (1-क) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा.

धारा 71 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 71 में,—

उपधारा (1) के खण्ड (एक) एवम् (दो) में शब्दों " एक कैलेण्डर वर्ष" के स्थान पर शब्दों "तीन कैलेण्डर माह" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर,
तारीख 26-08-2004

राज्यपाल,
छत्तीसगढ़.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2004

क्रमांक 5384/21-अ/प्रा./04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अध्यादेश, 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 4 of 2004)

CHHATTISGARH VANIJYIK KAR (SANSHODHAN) ADHYADESH, 2004
(No. 4 of 2004)

An Adhyadesh further to amend the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995).

Promulgated by the Governor in the fifty fifth year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Adhyadesh :—

Short Title and Commencement.

1. (i) This Adhyadesh may be called the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2004 (No. 4 of 2004).

(ii) This Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Chhattisgarh Vanijyik Kar (Sanshodhan) Adhiniyam (No. 5 of 1995) to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Adhyadesh, the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act) shall have effect subject to amendments specified in the following sections.

3. In section 9-A of the Principal Act.— **Amendment of Section 9-A.**

(i) the words "as the State Government may specify by notification" shall be omitted.

(ii) for the word, "five" the word "four" shall be substituted.

4. In section 26 of the Principal Act,— **Amendment in Section 26.**

in clause (a) of sub-section (4) for the figure "1.25" the figure "1" shall be substituted.

5. In section 27 of the Principal Act,— **Amendment of Section 27.**

(i) At the end of clause (a) of sub-section (2) the sentence "the return or returns furnished by such dealer for that year shall be accepted and his assessment shall be deemed to have been made for the purpose of sub-section (1)" shall be inserted.

(ii) Clause (b) of sub-section (2) shall be omitted.

(iii) In clause (c) of sub-section (2) for the words "clause (b)" the words "clause (a)" shall be substituted and the words "under clause (a)" shall be omitted.

6. In section 32 of the Principal Act.— **Amendment of Section 32.**

in sub-section (8) for the words "eighteen" the words "twelve" shall be substituted.

7. In section 39 of the Principal Act,— **Amendment of Section 39.**

in sub-section (5) for the word "one" the word "half" shall be substituted.

8. In section 61 of the Principal Act,— **Amendment of Section 61.**

for existing sub-section (6) the following sub-section shall be substituted—

(6) Subject to such procedure as may be prescribed and after such further inquiry as it may think fit.

(a) the Appellate Deputy Commissioner shall dispose of every appeal within one calendar year from the date of filing of such appeal. In disposing of such appeal, the Appellate Deputy Commissioner may confirm, reduce, enhance or annul the assessment of tax or imposition of penalty or both but shall not remand the case.

Notwithstanding anything contained in this clause, the appeals pending on the commencement of the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2004 shall be disposed of by the Appellate Deputy Commissioner within one calendar year from the date of the commencement of the said Adhyadesh.

(b) the Tribunal may —

(i) confirm, reduce, enhance or annul the assessment of tax or imposition of penalty or both, or

(ii) set aside the assessment or the imposition of penalty or both and direct the officer whose order of assessment or imposition of penalty has been appealed against to make a fresh assessment or re-impose penalty, after making such enquiry as it may direct; or

(iii) pass such order as it may deem fit.

Amendment of section 62.

9. In section 62 of the Principal Act,—

(i) in clause (b) of sub-section (1) after the words "as he thinks fit" the words and phrases "within one calendar year from the date of filing of such application for revision" shall be inserted.

(ii) after sub-section (1) the following sub-section shall be inserted.

(1-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if the revision under sub-section (1) is in respect of an order of re-assessment or re-imposition of penalty in pursuance to any direction given in appeal or revision, the Commissioner may pass an order in accordance with the provisions of sub-section (1), but shall not remand the case.

(1-B) Where an application for revision filed under clause (b) of sub-section (1) is pending on the date of commencement of the Chhattisgarh Vanijyik Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2004 it shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-section (1) or sub-section (1-A) as the case may be, within one calendar year from the date of commencement of the said Adhyadesh.

Amendment of section 71.

10. In section 71 of the Principal Act,—

in clause (i) and (ii) of sub-section (1) for the words "one calendar year" the words "three calendar months" shall be substituted.

Raipur,
Dated 26-08-2004

GOVERNOR.
Chhattisgarh.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.